



**कार्यालय मुख्य आयुक्त**  
Office of the Chief Commissioner  
सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र) जयपुर  
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur  
(Cadre Control Unit)

**Establishment Order No:- CCU-14/2026**

**(स्थापना आदेश संख्या:- सीसीयू-14/2026)**

**Dated:-As per E-signature**

**दिनांक :-ई-हस्ताक्षर के अनुसार**

Pursuant to recommendations of Departmental Screening Committee for grant of financial upgradation to officers of various grades for the period from 01.10.2025 to 31.03.2026 under the MACP Scheme, the following officer is hereby granted financial upgradation under the MACP Scheme from the date as mentioned against his name :-

दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान संशोधित सुनिश्चित कैरियर उन्नयन योजना (एम.ए.सी.पी.) के अंतर्गत विभिन्न ग्रेड के अधिकारियों को वित्तीय उन्नयन प्रदान किये जाने के संबंध में विभागीय स्क्रीनिंग समिति की संस्तुतियों के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिकारी को उसके नाम के सम्मुख उल्लिखित तिथि से एम.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाता है।

Sr. No.	Name of the officer	Date of Birth	Designation	Financial Upgradation	Date for grant of financial upgradation	Present Commissionerate
1	2	3	4	5	6	7
1.	Shri Kailash Chand Sharma	12.06.1970	Head Havaladar	3 <sup>rd</sup> Financial Upgradation in the Grade Pay of Rs. 2400 in PB-1 (Level-4 in Pay Matrix Rs. 25500-81100)	26.02.2026	CGST Audit Jaipur

**2. The said financial upgradation granted to the above officer, is subject to, inter-alia, the following conditions: -**

उपरोक्त अधिकारी को प्रदान किया गया उक्त वित्तीय उन्नयन, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

2.1 Benefit of pay fixation available at the time of regular promotion shall also be allowed at the time of financial upgradation under the Scheme, as prescribed in para 13 of CCS (Revised Pay Rules), 2016. There shall, however, be no further fixation of pay at the time of regular promotion if it is in the same pay level as granted under MACP Scheme. However, at the time of actual

promotion, if it happens to be in a post carrying higher pay level than what is available under MACPS, then he shall be placed in the level to which he is promoted at a cell in the promoted level equal to the figure being drawn by him on account of MACP. If no such cell is available in the level to which promoted, he shall be placed at the next higher cell in that level.

योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन के समय नियमित पदोन्नति पर उपलब्ध वेतन निर्धारण का लाभ, सीसीएस (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के पैरा 13 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय उन्नयन के समय भी अनुमन्य होगा। तथापि, यदि नियमित पदोन्नति उसी वेतन स्तर में होती है जो एम.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत प्रदान किया गया है, तो नियमित पदोन्नति के समय कोई अतिरिक्त वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा। हालांकि, वास्तविक पदोन्नति के समय यदि पदोन्नत पद का वेतन स्तर एम.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत उपलब्ध वेतन स्तर से उच्च होता है, तो संबंधित अधिकारी को पदोन्नत वेतन स्तर में उस कोष्ठक (सेल) में रखा जायेगा, जो एम.ए.सी.पी. के कारण आहरित किये जा रहे वेतन के समतुल्य हो। यदि पदोन्नत वेतन स्तर में ऐसा कोई कोष्ठक उपलब्ध न हो, तो उसे उस वेतन स्तर के अगले उच्च कोष्ठक में रखा जायेगा।

2.2 With regard to fixation of his pay on financial upgradation under the MACP Scheme, the above officer has an option under F. R. 22(1) (a) (1) to get his pay fixed in the higher post / Pay Level either from the date of his upgradation or from the date of his next increment viz. 1<sup>st</sup> July or 1<sup>st</sup> January, subject to provisions in the Scheme. As per the Ministry's instructions, option for pay fixation on grant of the said financial upgradation may be exercised by the aforesaid employee within one month from the date of issuance of this order in terms of DoP&T O.M. No. 13/02/2017-Estt.(Pay 1), dated 27.07.2017. No request for condonation of delay in submitting the option form after the stipulated period will be entertained.

एम.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन पर वेतन निर्धारण के संबंध में, उपरोक्त अधिकारी को एफ.आर. 22(1)(a)(1) के अंतर्गत यह विकल्प उपलब्ध होगा कि वह अपने वेतन का निर्धारण उच्च पद/वेतन स्तर में या तो उसके वित्तीय उन्नयन की तिथि से अथवा उसकी अगली वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात् 1 जुलाई या 1 जनवरी से (योजना में निहित प्रावधानों के अधीन) करवा सकता है। मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, उक्त वित्तीय उन्नयन प्रदान किये जाने पर वेतन निर्धारण के संबंध में विकल्प, डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन सं. 13/02/2017-Estt.(Pay-1), दिनांक 27.07.2017 के अनुसार, इस आदेश के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर उपरोक्त कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात विकल्प प्रपत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी के लिए कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2.3 On grant of financial upgradation under the Scheme, there shall be no change in his designation, classification or higher status. However, financial and certain other benefits which are linked to the pay drawn by the officer such as HBA, allotment of Government accommodation shall be permitted.

योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन प्रदान किये जाने पर अधिकारी के पदनाम, वर्गीकरण अथवा उच्चतर स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तथापि, अधिकारी द्वारा आहरित वेतन से संबद्ध वित्तीय तथा कुछ अन्य लाभ, जैसे कि गृह निर्माण अग्रिम (HBA), सरकारी आवास का आवंटन आदि अनुमन्य होंगे।

2.4 The MACP envisages merely placement on personal basis in the immediate higher Pay Level/grant of financial benefits only and shall not amount to actual / functional promotion of the employee concerned.

एम.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत केवल व्यक्तिगत आधार पर तात्कालिक उच्चतर वेतन स्तर में स्थान दिया जाना / मात्र वित्तीय लाभ प्रदान किया जाना परिकल्पित है तथा इसे संबंधित कर्मचारी की वास्तविक / कार्यात्मक पदोन्नति नहीं माना जायेगा।

2.5 The financial upgradation under the MACP Scheme shall be purely personal to the employee and shall have no relevance to his seniority position, and as such, there shall be no additional financial upgradation for the senior employee on the ground that the junior employee in the grade has got higher pay / grade pay under the MACP Scheme.

एम.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत प्रदान किया गया वित्तीय उन्नयन पूर्णतः संबंधित कर्मचारी के लिए व्यक्तिगत होगा तथा इसका उसकी वरिष्ठता स्थिति से कोई संबंध नहीं होगा। अतः इस आधार पर कि किसी कनिष्ठ कर्मचारी को एम.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतन / ग्रेड वेतन प्राप्त हुआ है, उसी ग्रेड के वरिष्ठ कर्मचारी को कोई अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन प्रदान नहीं किया जायेगा।

2.6 **No stepping up of pay in the pay band or grade pay (i.e. in the level in Pay Matrix) would be admissible with regard to junior getting more pay than the senior on account of pay fixation under MACP Scheme.** Further, while implementing the MACP Scheme, the differences in pay scales on account of grant of financial upgradation under the old ACP Scheme (of August 1999) and under the MACP Scheme within the same cadre shall not be construed as an anomaly.

एम.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप यदि किसी कनिष्ठ कर्मचारी को वरिष्ठ कर्मचारी की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त होता है, तो ऐसे मामलों में वेतन बैंड अथवा ग्रेड वेतन (अर्थात् वेतन मैट्रिक्स के स्तर में) में वेतन का स्टेपिंग-अप अनुमन्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, एम.ए.सी.पी. योजना के कार्यान्वयन के दौरान, उसी कैडर में पुरानी ए.सी.पी. योजना (अगस्त 1999 की) तथा एम.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत प्रदान किये गए वित्तीय उन्नयन के कारण उत्पन्न वेतनमानों के अंतर को किसी भी प्रकार की विसंगति (एनोमली) नहीं माना जायेगा।

2.7 Pay drawn in the level of Pay Matrix under the MACPS shall be taken as the basis for determining the terminal benefits in respect of a retiring employee.

एम.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स के स्तर में आहरित वेतन को सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी के संबंध में देय टर्मिनल लाभों के निर्धारण का आधार माना जायेगा।

3. This issues with the approval of the competent authority.

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(आशुतोष)  
आयुक्त (In-Situ)

Copy forwarded for information & necessary action to:-

1. Officers Concerned.
2. The Commissioner, CGST Audit Commissionerate, Jaipur.
3. The PAO, CGST & Customs, Jaipur.
4. The CAO /AO (DDO), CGST Audit Commissionerate, Jaipur.
5. Service Book / Guard file / Notice Board/Concerned Officer's Association.
6. Webmaster for uploading a copy of the order on Zonal Website.